कार्यालय अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

जिला परिषद् अजमेर

महात्मा गांधी रा.ग्रा.रो.गा.अ.

क्रमांक 2920 दिनांक 4/6/18

विज्ञप्ति

ब्लॉक संसाधन व ग्राम संसाधन व्यक्तियों के चयन हेतु

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम 2005 की धारा 17 एंव महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी स्कीमो की लेखा परीक्षा नियम, 2011 के प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायत की अधिकारिता के भीतर महात्मा गांधी नरेगा तथा प्रधानमंत्री आवास योजना अन्तर्गत सचांलित समस्त कार्यो का ग्राम सभा द्वारा प्रत्येक छः माह में कम से कम 1 बार सामाजिक अंकेक्षण किया जायेगा इन्ही प्रावधानों के अनुसार जिले की समस्त 282 ग्राम पंचायतो में वर्ष 2018–19 का सामाजिक अंकेक्षण कार्य के लिये एक बी,आर,पी तथा 5 वी,आर,पी का ग्राम पंचायतवार चयन किया जाना है। बी,आर,पी हेतु अनुमानित पद 57 तथा वी,आर,पी हेतु पद 705 है। पद अस्थायी है एवं मानदेय का भुगतान प्रतिदिवस के आधार पर देय होगा।

इच्छुक अभ्यर्थी बी,आर,पी आवेदन हेतु जिला परिषद अजमेर कार्यालय तथा वी,आर,पी आवेदन हेतु सम्बन्धित पंचायत समिति मुख्यालय पर निर्धारित आवेदन पत्र दिनांक 15.06.2018 को सांय 5 बजे तक आवेदन कर सकते है। आवेदन पत्र व विस्तृत जानकारी पंचायत समिति मुख्यालय से कार्यालय समय में एंव सूचना एंव प्रौद्योगिकी एंव संचार विभाग अजमेर की बेवसाइट ajmer.rajasthan.gov.in में भी ली जा सकती है।

अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद् अजमेर

कार्यालय अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद् अजमेर

क्रमांक/महानरेगा/सामा.अंके./2018–19/2851-53 दिनांकः– 31/5/18

सम्पादक महोदय (विज्ञापन शाखा)
दैनिक भास्कर/राजस्थान पत्रिका
अजमेर

विषयः– विज्ञप्ति प्रकाशित करने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस पत्र के साथ प्रासंगिक पत्र में जारी विज्ञप्ति प्रकाशित करने हेतु संलग्न कर भिजवाई जा रही है। इसको केवल अजमेर में प्रकाशित संस्करण में न्यूनतम जगह में प्रकाशित कर बिल डी.पी.आर. दर पर दो प्रतियों में अति0 जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् अजमेर के नाम से जिला परिषद् कार्यालय (नरेगा सेल) पटेल मैदान के सामने भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार–3

अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक
एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद, अजमेर

क्रमांक/महानरेगा/सामा.अंके./2017–18/ 2854-70 दिनांक 31/5/18
प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निदेशक, सामाजिक अंकेक्षण, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, निदेशालय (सामाजिक अंकेक्षण) राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सहायक, जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कलक्टर, अजमेर।
4. अति0 जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् अजमेर।
5. अधिशाषी अभियन्ता, (ईजीएस) जिला परिषद्, अजमेर।
6. लेखाधिकारी, (महानरेगा) एवं नोडल अधिकारी, (सामा. अंके.) जिला परिषद्, अजमेर।
7. विकास एवं कार्यक्रम अधिकारी, पंचायत समिति (समस्त)..........................जिला अजमेर को प्रेषित कर लेख है कि ग्राम संसाधन व्यक्तियों के चयन हेतु आवेदन पत्रों को प्राप्त करने एवं उन्हें निर्धारित प्रारुप में सूचीबद्ध व चयन कर भीतर 15 दिवस में कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें ताकि निर्धारित समय में सामाजिक अंकेक्षण समिति का गठन कर कार्यक्रम जारी किया जा सके। इस हेतु सहायक कार्यक्रम अधिकारी/सहायक अभियन्ता को नोडल अधिकारी नियुक्त कर सूचित करावें। (परिपत्र व प्रारुप की प्रति संलग्न है)।
8. जिला संसाधन व्यक्ति (सामा. अंके.) जिला परिषद्, अजमेर।

अति0 जिला कार्यक्रम समन्वयक
एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद् अजमेर

कार्यालय अति0 जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद् अजमेर

क्रमांक / महानरेगा / सामा.अकें. / 2018–19 / 2871 दिनांक 31/5/18

विज्ञप्ति

शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, सचिवालय, राजस्थान सरकार जयपुर के पत्रांक एफ.61(24)ग्रा. वि. / म.न. / नि.सा.अं. / 18–19 / 865 दिनांक 07.05.2018 के निर्देशानुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम, 2005 की धारा 17 एवं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी स्कीमों की लेखा परीक्षा नियम 2011 के प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायत की अधिकारिता के भीतर महात्मा गांधी नरेगा तथा प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत संचालित समस्त पूर्ण, अपूर्ण व प्रगतिरत कार्यों / आवासों का ग्राम सभा द्वारा प्रत्येक छः माह में पिछले छः माह की अवधि का सामाजिक अंकेक्षण किया जाता है। इन्हीं प्रावधानों के अनुसार वर्ष 2018–19 में इस सम्बन्ध में सामाजिक अंकेक्षण कार्य व ग्राम सभाओं के आयोजन हेतु सामाजिक अंकेक्षण समिति का चयन किया जाना है। सामाजिक अंकेक्षण समिति में प्रत्येक पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत स्तर पर ब्लॉक संसाधन व्यक्ति एवं ग्राम संसाधन व्यक्तियों का चयन किया जाकर अनुमानित पदों का तीन गुना पेनल तैयार किया जाना है। चयन हेतु वांछित शैक्षणिक योग्यता / अनुभव / आयु / मानदेय आदि का विवरण निम्न प्रकार हैः–

क्र. सं.	पदनाम	अनुमानित पद	दिनांक 1.1.2017 को आयु	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता	स्वीकृत मानदेय	आवेदन पत्र जमा करने का स्थान
1.	ब्लॉक संसाधन व्यक्ति	57	न्यूनतम 21 वर्ष अधिकतम 65 वर्ष	स्नातक या समकक्ष परीक्षा पास	325 / रु. प्रतिदिवस जॉब कार्य के आधार पर	कार्यालय अति0 जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् अजमेर
2.	ग्राम संसाधन व्यक्ति	705	न्यूनतम 21 वर्ष अधिकतम 65 वर्ष	माध्यमिक परीक्षा पास (12वीं पास या स्नातक को वरीयता)	225 / रु. प्रतिदिवस जॉब कार्य के आधार पर	कार्यालय विकास एवं कार्यक्रम अधिकारी, पंचायत समिति (समस्त) यथा अराईं / भिनाय / जवाजा / केकड़ी / मसूदा / पीसांगन / सरवाड़ / सिलोरा / श्रीनगर, जिला अजमेर

प्राथमिक पणधारियों एवं अन्य सिविल सोसायटी संगठनों (जैसेः– भूतपूर्व सैनिक कल्याण सोसायटी, पेंशनर्स वेल्फेयर सोसायटी एवं अन्य संगठन जैसे– महिला स्वयं सहायता समूह आदि) के ऐसे व्यक्तियों का चयन किया जाना है जो जनता के अधिकारों के लिए कार्य करने का ज्ञान एवं अनुभव रखते हैं।

ये समस्त पद अस्थायी हैं। इन्हें स्थायी पद समझकर आवेदन नहीं किया जाये।

आवेदन पत्र का प्रारुप संलग्न है। इन्हें **दिनांक 15.06.2018 तक** सम्बन्धित कार्यालय में जमा करावें।

आवेदन पत्र के साथ निम्न प्रमाणपत्रों की सत्यापित प्रतियां संलग्न करना अनिवार्य हैः–

1. माध्यमिक परीक्षा की अंकतालिका, प्रमाणपत्र
2. स्नातक परीक्षा की अंकतालिका, डिग्री
3. सिविल सोसायटी संगठन में कार्यानुभव प्रमाणपत्र
4. निवास प्रमाणपत्र – सरपंच / राजपत्रित अधिकारी

अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक
एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद, अजमेर